Title: Election of fifteen members from Lok Sabha to Public Accounts Committee.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2023 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें ।?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2023 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम 22 जो रिपीट हुआ है, उसे कार्यवाही में नहीं लीजिएगा । इसको हटा दीजिए ।